

अनुसंधान प्रश्न

“भारत में ऑनलाइन पीछा करने, साइबरबुलिंग और उत्पीड़न से कौन से कानून बचाते हैं, जिसमें बीएनएस के तहत स्टॉकिंग, आईटी एक्ट के प्रावधान, साइबर सेल में रिपोर्ट करने का तरीका और ऐसे मामलों में जमानत तथा निषेधाज्ञा पर अदालतों के फैसले शामिल हों?”

भारत में ऑनलाइन पीछा करने, साइबरबुलिंग और उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सुरक्षा उपाय, साइबर सेल रिपोर्टिंग प्रक्रिया, तथा जमानत एवं साक्ष्य संरक्षण पर न्यायिक दृष्टिकोण

सारांश

भारत में ऑनलाइन पीछा करने (cyberstalking), साइबरबुलिंग और डिजिटल उत्पीड़न से सुरक्षा प्राथमिक रूप से **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 78** (पूर्ववर्ती IPC की धारा 354D) तथा **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000** के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने *Priya Indoria v. State of Karnataka* (2023) में स्थापित किया है कि गंभीर डिजिटल अपराधों के मामलों में भी आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सीमित ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी जा सकती है, बशर्ते कि पीड़ित के अधिकारों और क्षेत्राधिकार संबंधी सुरक्षा उपायों का उचित संतुलन बनाया जाए। ऑनलाइन उत्पीड़न की स्थिति में पीड़ित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या नजदीकी साइबर सेल में सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जहाँ गंभीर मामलों की जांच विशेष साइबर पुलिस थानों द्वारा की जाती है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
15	4	2025
9 उच्च न्यायालय • 6 सर्वोच्च न्यायालय		High Court for State of Telangana

विषय - सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	7
IV. मुकदमे का विवरण	9

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 डिजिटल उत्पीड़न में साक्ष्य का संरक्षण और निष्पक्ष सुनवाई

साइबर अपराधों में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDRs) और इलेक्ट्रॉनिक चैट डेटा का समय पर संरक्षण आरोपी के बचाव के अधिकार के लिए आवश्यक है, जैसा कि *Sohail Malik v. State NCT of Delhi* (2025) में स्पष्ट किया गया है।

02 छद्म रूप (Impersonation) और डिजिटल खातों का उपयोग कर बदनामी

सोशल मीडिया (जैसे इंस्टाग्राम) पर फर्जी खाते बनाकर किसी को बदनाम करना और उसकी तस्वीरें पोस्ट करना आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत धोखाधड़ी और उत्पीड़न की श्रेणी में आता है, जिसके आपराधिक तत्वों का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जाना चाहिए, जैसा कि *Nandini Rai v. State of NCT of Delhi* (2024) में दर्शाया गया है।

03 अग्रिम जमानत की असाधारण प्रकृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की असाधारण शक्ति का उपयोग केवल उन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जहां आरोपी के फरार होने या कानून से बचने की कोई संभावना न हो, जैसा कि *Shajan Skaria v. The State of Kerala & Anr.* (2024) में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में रेखांकित किया गया है।

04 अग्रिम जमानत की अवधि और सीमाओं का निर्धारण

अग्रिम जमानत के तहत दी गई सुरक्षा को सामान्यतः किसी विशिष्ट समय सीमा या ट्रायल के किसी चरण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बशर्ते कि परिस्थितियां असाधारण न हों, जैसा कि *Sushila Aggarwal v. State (NCT of Delhi)* (2020) में निर्धारित किया गया है।

05 नाबालिगों के डिजिटल विवादों में सौहार्दपूर्ण समाधान

नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया पर उपजे विवादों और संवेदनशील अपराधों (जैसे आईटी एक्ट की धारा 67) में यदि आपसी समझौता हो जाता है, तो उनके भविष्य की रक्षा के लिए एफआईआर रद्द की जा सकती है, जैसा कि *Minor Sabahat v. State of Gujarat* (2020) में माना गया है।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने *Gurbaksh Singh Sibbia v. State of Punjab* (1980) में स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत एक व्यापक न्यायिक विवेकाधिकार है जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण (Article 21) हेतु बिना अनुचित सीमाओं के लागू किया जाना चाहिए। हालाँकि, *Rashmi Rekha Thatoi & Anr. v. State of Orissa & Ors.* (2012) के अनुसार, उच्च न्यायालयों को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट को नियमित जमानत देने का ऐसा कोई निर्देश नहीं देना चाहिए जो निचली अदालतों के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता हो। इसके अतिरिक्त, *D.K. Ganesh Babu v. P.T. Manokaran* (2007) में स्पष्ट किया गया कि गिरफ्तारी के बाद ही जमानत का आदेश प्रभावी होता है और अग्रिम जमानत केवल गिरफ्तारी की आशंका के समय बचाव के लिए दी जाती है।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

साइबर अपराधों और गंभीर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में, उच्च न्यायालयों ने विशिष्ट साइबर पुलिस थानों को जांच स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई है, बशर्ते अपराध की गंभीरता और संलिप्त वित्तीय राशि अत्यधिक हो, जैसा कि *Ram Singh v. State of Rajasthan* (CRLMP/5151/2023) (2024) और *Ram Singh v. State of Rajasthan* (CRLMP/4394/2023) (2024) में देखा गया है, जहाँ नव-लागू BNSS के तहत परिपत्रों के अनुसार गंभीर साइबर अपराधों की जांच को साइबर सेल में भेजने की प्रार्थना की गई थी। इसके अलावा, *X v. State* (2025) में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सात वर्ष से कम सजा वाले साइबर धोखाधड़ी और उत्पीड़न के मामलों में गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा (anticipatory bail) प्रदान करते हुए Arnesh Kumar के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया है।

हाल का विकास

हालिया निर्णयों में अदालतों ने अग्रिम जमानत आवेदनों में अत्यधिक और बिना किसी ठोस कारण के की गई देरी के प्रति सख्त रुख अपनाया है। *Sunny @ Sandeep Kumar v. State of Punjab* (2025) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिना किसी उचित कारण के अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने में अत्यधिक देरी आरोपी के कानून से बचने या फरार होने का संकेत दे सकती है, जिससे अदालतें असाधारण सुरक्षा देने से इनकार कर सकती हैं। वहीं, *Lalabhai Ranchodbbhai Rabari v. State of Gujarat* (2022) में यह दोहराया गया कि अग्रिम जमानत का आवेदन ठोस तथ्यों पर आधारित होना चाहिए न कि केवल सामान्य आशंकाओं पर, और गंभीर आरोपों में पूर्व आचरण को ध्यान में रखना आवश्यक है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने *Smt. Gouri Debnath (Podder) v. The State of Tripura* (2025) में पुष्टि की है कि यदि प्रथम दृष्टया अपराध के तत्व संदिग्ध हों और आरोपी के कानून से भागने की संभावना न हो, तो अग्रिम जमानत देने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 354D, INDIAN PENAL CODE, 1860 — STALKING

Defines the offense of stalking, which includes following a woman, attempting personal contact despite her disinterest, or monitoring her electronic communication like internet or email, and provides penalties for first and subsequent convictions.

"354D. Stalking.--(1) Any man who-- (i) follows a woman and contacts, or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman; or (ii) monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication, commits the offence of stalking: Provided that such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that-- (i) it was pursued for the purpose of preventing or detecting crime and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the State; or (ii) it was pursued under any law or to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law; or (iii) in the particular circumstances such conduct was reasonable and justified. (2) Whoever commits the offence of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine."

SECTION 78, BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 — STALKING

Defines the offense of stalking, covering physical following as well as digital monitoring of a woman, and prescribes imprisonment terms of up to three years for first conviction and up to five years for subsequent convictions.

"Section 78. Stalking

(1) Any man who---

(i) follows a woman and contacts, or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman; or

(ii) monitors the use by a woman of the internet, e-mail or any other form of electronic communication,

commits the offence of stalking:

Provided that such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that---

(i) it was pursued for the purpose of preventing or detecting crime and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the State; or

(ii) it was pursued under any law or to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law; or

(iii) in the particular circumstances such conduct was reasonable and justified.

(2) Whoever commits the offence of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine."

SECTION 66D, INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 — PUNISHMENT FOR CHEATING BY PERSONATION BY USING COMPUTER RESOURCE

Prescribes a punishment of up to three years imprisonment and a fine of up to one lakh rupees for cheating by personation using any communication device or computer resource.

"Section 66D. Punishment for cheating by personation by using computer resource

Whoever, by means of any communication device or computer resource cheats by personation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees." उद्धृत: Nandini Rai v. State of NCT of Delhi, X v. State

SECTION 67A, INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 — PUNISHMENT FOR PUBLISHING OR TRANSMITTING OF MATERIAL CONTAINING SEXUALLY EXPLICIT ACT, ETC., IN ELECTRONIC FORM

Imposes criminal penalties including imprisonment and heavy fines for transmitting or publishing sexually explicit materials electronically.

"Section 67A. Punishment for publishing or transmitting of material containing sexually explicit act, etc., in electronic form

Whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted in the electronic form any material which contains sexually explicit act or conduct shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and with fine which may extend to ten lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and also with fine which may extend to ten lakh rupees."

III. चर्चित मुकदमे

15 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>D.K. Ganesh Babu v. P.T. Manokaran</i> ESCR010005932007	SUPREME COURT OF INDIA	2007	अग्रिम जमानत केवल गिरफ्तारी के समय प्रभावी होती है, जांच में हस्तक्षेप अनुचित है।
02	<i>Shajan Skaria v. The State of Kerala & Anr.</i> ESCR010005652024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	एफआईआर में अपराध का तत्व न होने पर अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं होता।
03	<i>Ram Singh v. State of Rajasthan (CRLMP/5151/2023)</i> RJHC020651522023	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2024	गंभीर साइबर अपराधों की जांच विशेष साइबर पुलिस स्टेशनों को स्थानांतरित की जा सकती है।
04	<i>X v. State</i> HBHC010212732025	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2025	सात साल से कम सजा वाले साइबर अपराधों में अर्नेश कुमार गाइडलाइंस के तहत जमानत।
05	<i>Gurbaksh Singh Sibbia v. State of Punjab</i> ESCR010002511980	SUPREME COURT OF INDIA	1980	अग्रिम जमानत हेतु व्यापक न्यायिक विवेकाधिकार है, मनमाने प्रतिबंध लगाना अनुचित है।
06	<i>Rashmi Rekha Thatoi & Anr. v. State of Orissa & Ors.</i> ESCR010003682012	SUPREME COURT OF INDIA	2012	अग्रिम जमानत खारिज करते हुए निचली अदालत को नियमित जमानत देने का निर्देश अनुचित है।
07	<i>Sunny @ Sandeep Kumar v. State of Punjab</i> PHHC011117502025	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	बिना किसी ठोस कारण के अग्रिम जमानत अर्जी में अत्यधिक देरी राहत से इनकार का आधार है।
08	<i>Minor Sabahat v. State of Gujarat</i> GJHC240494472020	HIGH COURT OF GUJARAT	2020	नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया विवादों में आपसी समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द।
09	<i>Ram Singh v. State of Rajasthan (CRLMP/4394/2023)</i> RJHC020572742023	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2024	डिजिटल वॉलेट में तकनीकी खामियों से वित्तीय धोखाधड़ी का नागरिक प्रकृति का विवाद।
10	<i>Priya Indoria v. State of Karnataka</i> ESCR010007832023	SUPREME COURT OF INDIA	2023	क्षेत्राधिकार से बाहर सीमित ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने की असाधारण शक्ति की पुष्टि।
11	<i>Sushila Aggarwal v. State (NCT of Delhi)</i> ESCR010001622020	SUPREME COURT OF INDIA	2020	अग्रिम जमानत की सुरक्षा को किसी निश्चित समय सीमा या ट्रायल के चरण तक सीमित न करना।
12	<i>Nandini Rai v. State of NCT of Delhi</i> DLHC010129602024	HIGH COURT OF DELHI	2024	इंस्टाग्राम पर फर्जी खाते बनाकर बदनामी करने के मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार।
13	<i>Lalabhai Ranchodbbhai Rabari v. State of Gujarat</i> GJHC240624022022	HIGH COURT OF GUJARAT	2022	अग्रिम जमानत हेतु आशंका ठोस तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि वेग दावों पर।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	<i>Sohail Malik v. State NCT of Delhi</i> DLHC010551612024	HIGH COURT OF DELHI	2025	यौन उत्पीड़न के आरोपी को अपने बचाव के लिए सीडीआर/डिजिटल डेटा सुरक्षित रखने का अधिकार।
15	<i>Smt. Gouri Debnath (Podder) v. The State of Tripura</i> TRHC010003032025	HIGH COURT OF TRIPURA	2025	अपराध के आवश्यक तत्व संदिग्ध होने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु अग्रिम जमानत मंजूर।

IV. मुकदमे का विवरण 15 केस फ़ाइलें

01 D.K. Ganesh Babu v. P.T. Manokaran

SUPREME COURT OF INDIA • 2007-02-23 • 2007 INSC 191

यह मामला Section 438 Cr.P.C. (anticipatory bail) के दायरे और सीमाओं से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि anticipatory bail का आदेश केवल गिरफ्तारी के समय प्रभावी होता है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने से बचाना है, न कि जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना। न्यायालय ने माना कि Section 438 के तहत arrest को रोकने का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जांच में बाधा डालता है। साथ ही, High Court द्वारा anticipatory bail देते समय लगाई गई अत्यधिक शर्तों को अनुचित ठहराया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूंकि आरोपी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उन्हें Section 439 Cr.P.C. के तहत नियमित bail के लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन करना चाहिए।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामान्य जमानत और अग्रिम जमानत में मौलिक अंतर है। अग्रिम जमानत केवल गिरफ्तारी की आशंका के समय दी जाती है और इसका क्रियान्वयन आरोपी की गिरफ्तारी के ठीक बाद प्रभावी होता है। जांच के दौरान गिरफ्तारी को रोकने के सामान्य आदेशों को कानून के विपरीत माना गया है।

“The power exercisable under Section 438 is somewhat extraordinary in character and it is only in exceptional cases where it appears that the person may be falsely implicated or where there are reasonable grounds for holding that a person accused of an offence is not likely to otherwise misuse his liberty then power is to be exercised under Section 438.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2007

स्रोत ESCR010005932007

02 Shajan Skaria v. The State of Kerala & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-08-23 • 2024 INSC 625

यह मामला Section 18 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के तहत अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की व्याख्या से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 18 का प्रावधान अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है। यदि FIR या शिकायत में अपराध के आवश्यक तत्व (essential ingredients) prima facie मौजूद नहीं हैं, तो अदालत अग्रिम जमानत दे सकती है। प्रस्तुत मामले में, न्यायालय ने पाया कि Appellant द्वारा YouTube पर की गई टिप्पणी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण थी, न कि शिकायतकर्ता की जाति के कारण। चूंकि इसमें Section 3(1)(r) या Section 3(1)(u) के तहत अपराध का कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता था, इसलिए न्यायालय ने High Court के आदेश को रद्द करते हुए Appellant को राहत प्रदान की।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य निर्दोष व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता को राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के झूठे मुकदमों से बचाना है। यदि शिकायत में कोई संज्ञेय और ठोस आधार न हो, तो न्यायालय अग्रिम जमानत के अधिकार का उचित उपयोग कर सकता है।

“The purpose behind incorporating Section 438 in CrPC was to recognise the importance of personal liberty and freedom in a free and democratic country.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010005652024

Ram Singh v. State of Rajasthan (CRLMP/5151/2023)

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024-11-06 • CRLMP/5151/2023

यह मामला Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) के Loyalty Program में कथित तकनीकी खामियों के कारण हुए लगभग 130 करोड़ रुपये के वित्तीय नुकसान से संबंधित है। BPCL ने आरोप लगाया कि विभिन्न ग्राहकों ने सिस्टम में अनधिकृत लेनदेन कर धोखाधड़ी की। इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह विवाद पूरी तरह से संविदात्मक (contractual) और दीवानी प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रंग दिया गया है, और BPCL ने स्वयं इसे सिस्टम की त्रुटि माना था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा जांच को Cyber Cell में स्थानांतरित करने की मांग और याचिकाकर्ताओं द्वारा FIR रद्द करने की मांग शामिल थी। न्यायालय ने गहन विश्लेषण के पश्चात तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि नव-लागू की गई न्याय प्रणाली और पुलिस परिपत्रों के तहत, साइबर अपराधों से संबंधित मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक की अनुमति से जांच को विशेष साइबर सेल या साइबर पुलिस थानों को भेजा जाना चाहिए।

“This Court has further taken into consideration that as per the provisions of newly introduced B.N.S.S. Act, Circular No. 2990/2024, pertaining to cybercrime is issued wherein, the instant matter can be dealt by cyber police stations, after permission of Superintendent, considering the gravity and seriousness of offences.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024

स्रोत RJHC020651522023

04 X v. State

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2025-04-16 • CRLP/4934/2025

यह मामला आरोपी द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर आरोप था कि उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से शिकायतकर्ता से दोस्ती की और निवेश के नाम पर उससे धोखाधड़ी की, जिसके चलते Sections 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) of BNS और Section 66D of the IT Act के तहत मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरोप निराधार हैं और अपराधों में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। न्यायालय ने रिकॉर्ड पर गौर करते हुए और यह पाते हुए कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसे शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की और पुलिस को जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

निर्णय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने माना कि जब सभी कथित अपराध (जिसमें आईटी एक्ट की धारा 66D और बीएनएस के प्रावधान शामिल हैं) सात वर्ष से कम सजा वाले हों, तो पुलिस को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में निर्धारित गिरफ्तारी प्रक्रियाओं और नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

“all other offences levelled against the petitioner are punishable with less than seven years’ imprisonment. Even according to the learned Additional Public Prosecutor, the petitioner is not having any criminal antecedents.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2025

स्रोत HBHC010212732025

05 Gurbaksh Singh Sibbia v. State of Punjab

SUPREME COURT OF INDIA • 1980-04-09 • 1980 INSC 68

यह मामला Section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत 'anticipatory bail' (अग्रिम जमानत) के दायरे और शक्तियों से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Article 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और Section 438 को संकुचित

या मनमाने ढंग से सीमित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदक को 'reason to believe' (विश्वास करने का कारण) दिखाना होगा कि उसे गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। यद्यपि अदालतें अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन वे 'blanket order' (सामान्य आदेश) जारी नहीं कर सकतीं। आदेश में उन विशिष्ट अपराधों का उल्लेख होना चाहिए जिनके लिए सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

निर्णय संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि अग्रिम जमानत देने का अधिकार क्षेत्र असाधारण रूप से विस्तृत है और अदालतों के विवेकाधिकार को संकुचित न्यायिक व्याख्याओं से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। यह शक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी गई है।

“The amplitude of judicial discretion which is given to the High Court and the Court of Sessions, to impose such conditions as they may think fit while granting anticipatory bail, should not be cut down, by a process of construction, by reading into the statute conditions which are not to be found therein like those evolved by the High Court.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1980

स्रोत ESCR010002511980

06 Rashmi Rekha Thatoi & Anr. v. State of Orissa & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2012-05-04 • 2012 INSC 202

यह मामला Criminal Procedure Code (CrPC) की Section 438 के तहत अग्रिम जमानत (anticipatory bail) से संबंधित है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि High Court या सत्र न्यायालय (Court of Session) यह निर्देश नहीं दे सकते कि आरोपी के आत्मसमर्पण (surrender) करने पर उसे Magistrate द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाए, विशेषकर तब जब न्यायालय ने स्वयं अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का आदेश कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है और यह निचली अदालतों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी शर्तों को रद्द कर दिया और कहा कि आरोपी कानून के अनुसार Section 439 के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

निर्णय न्यायालय ने दोहराया कि धारा 438 के तहत क्षेत्राधिकार असाधारण है और अग्रिम जमानत के लिए उचित कानूनी मापदंडों का पालन होना चाहिए। अग्रिम जमानत अस्वीकार करने के बाद अदालतों को मजिस्ट्रेटों के न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

“We agree, with respect, that the power conferred by S. 438 is of an extraordinary character in the sense indicated above, namely, that it is not ordinarily resorted to like the power conferred by Ss. 437 and 439. We also agree that the power to grant anticipatory bail should be exercised with due care and circumspection.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2012

स्रोत ESCR010003682012

07 Sunny @ Sandeep Kumar v. State of Punjab

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-07-21 • CRM-M/38399/2025

यह मामला अग्रिम जमानत (anticipatory bail) के लिए दायर एक याचिका से संबंधित है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि याचिकाकर्ता और अन्य आरोपियों ने उन्हें विदेश (Portugal) भेजने के नाम पर ठगी की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने खुद को ट्रैवल एजेंट बताकर बड़ी रकम ली, लेकिन न तो विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी की और न ही पैसे वापस किए। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत FIR दर्ज किया गई। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसे झूठा फँसाया गया है और वह केवल एक मध्यस्थ (mediator) के रूप में कार्य कर रहा था, उसका कोई आपराधिक इरादा नहीं था। इसके विपरीत, राज्य सरकार ने इस अपराध की गंभीरता और इसमें शामिल बड़ी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया है।

निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत को एक असाधारण उपाय माना। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई आवेदक बिना किसी वैध और स्पष्ट कारण के अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने में अत्यधिक विलंब करता है, तो इसे कानून से बचने का प्रयास मानकर अदालत याचिका को खारिज कर सकती है।

“While the legislative framework remains silent on a rigid timeline for invoking the extraordinary discretionary jurisdiction—an inordinate and inexplicated delay in invoking the same—inevitably invites meticulous scrutiny.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC011117502025

08 Minor Sabahat v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2020-12-04 • CR.MA/16466/2020

यह मामला Criminal Procedure Code की Section 482 के तहत एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता की बेटी दोनों नाबालिग हैं और मित्र हैं। उनके बीच हुए एक विवाद के कारण Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, Information Technology Act, और Indian Penal Code के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने माना कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है और यह समझौता उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने Gian Singh v. State of Punjab के सिद्धांतों का पालन करते हुए FIR को रद्द कर दिया, क्योंकि इस मामले में कार्यवाही जारी रखना केवल एक निरर्थक प्रयास होगा।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि संवेदनशील आईटी अधिनियम प्रावधानों (जैसे धारा 67) के तहत डिजिटल उत्पीड़न के मामलों में, यदि दोनों पक्ष नाबालिग हैं और उनके बीच कोई जबरदस्ती या प्रभाव के बिना समझौता हो जाता है, तो एफआईआर को निरस्त करना न्यायसंगत है।

“Now, the provisions of Sections 66C and 67 of the Information Technology Act, 2000 reads as under:-... In view of the aforesaid provisions of law, it is clear that the offences are punishable only for three years. It is an admitted fact that the victim as well as the present applicant are minor and both are friends and settlement has been arrived at between the parties with a view to safeguard the future life of both of them.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2020

स्रोत GJHC240494472020

09 Ram Singh v. State of Rajasthan (CRLMP/4394/2023)

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024-11-06 • CRLMP/4394/2023

यह मामला Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) द्वारा अपने डिजिटल लॉयल्टी प्रोग्राम में कथित तकनीकी खामियों का लाभ उठाकर किए गए वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। BPCL ने आरोप लगाया कि कुछ ग्राहकों ने अनुचित तरीके से बिना भुगतान किए अपने वॉलेट को रिचार्ज किया, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। आरोपियों ने तर्क दिया कि यह विशुद्ध रूप से एक दीवानी प्रकृति (civil nature) का विवाद है और इसे आपराधिक रंग दिया जा रहा है।

निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि आईटी अधिनियम की धारा 78 के विशेष विधायी आदेशानुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी साइबर अपराध की जांच केवल इंस्पेक्टर स्तर या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिए।

“Section 78- Power to investigate offences. – Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), a police officer not below the rank of (Inspector) shall investigate any offence under this Act.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024

स्रोत RJHC020572742023

10 Priya Indoria v. State of Karnataka

SUPREME COURT OF INDIA • 2023-11-20 • 2023 INSC 1008

यह मामला Section 438 of the Code of Criminal Procedure के तहत 'transit anticipatory bail' की अवधारणा और न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यद्यपि एक आरोपी उस राज्य में पूर्ण अग्रिम जमानत (regular anticipatory bail) नहीं मांग सकता जहाँ FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय तक पहुँच (access to justice) सुनिश्चित करने के लिए उस राज्य के न्यायालय से 'सीमित ट्रांजिट अग्रिम जमानत' (limited transit anticipatory bail) मांग सकता है जहाँ वह वर्तमान में निवास कर रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी राहत केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों द्वारा बिना अधिकारिता के दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया और आरोपी को क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में जाने का निर्देश दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक व्याख्या देते हुए निर्णय दिया कि अदालतों को न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतःराज्यीय मामलों में 'सीमित ट्रांजिट अग्रिम जमानत' देने की शक्ति प्राप्त है, भले ही अपराध दूसरे राज्य में दर्ज हुआ हो।

“The Parliament has provided ample legislative guidance on the factors that may guide the High Court or the Court of Session while considering the application for grant of an anticipatory bail. The substantive factors consist of the nature and gravity of the accusation, the criminal antecedents of the applicant, the risk of the applicant absconding from justice or not cooperating with the criminal justice administration and the possibility of an accusation made in bad faith”

SUPREME COURT OF INDIA • 2023

स्रोत ESCR010007832023

11 Sushila Aggarwal v. State (NCT of Delhi)

SUPREME COURT OF INDIA • 2020-01-29 • 2020 INSC 106

यह मामला Section 438 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) के तहत 'anticipatory bail' (अग्रिम जमानत) की अवधि और शर्तों से संबंधित है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अग्रिम जमानत की सुरक्षा को किसी निश्चित समय अवधि या trial के किसी विशेष चरण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है।\n\nहालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निचली अदालतों के पास विशिष्ट परिस्थितियों में उचित शर्तें लगाने का विवेकाधिकार है। न्यायालय ने पूर्व के उन निर्णयों को खारिज कर दिया जिनमें अग्रिम जमानत को समयबद्ध करने के लिए मजबूर किया गया था, और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (Article 21 of the Constitution of India) के संरक्षण के लिए एक आवश्यक उपाय माना।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने माना कि अग्रिम जमानत की कोई अंतर्निहित समय-सीमा नहीं होती है। यह राहत चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी और मुकदमे के अंत तक जारी रह सकती है, जब तक कि अदालत कोई विशेष कारण दर्ज न करे।

“The distinction between an ordinary order of bail and an order of anticipatory bail is that whereas the former is granted after arrest and therefore means release from the custody of the police, the latter is granted in anticipation of arrest and is therefore effective at the very moment of arrest.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2020

स्रोत ESCR010001622020

12 Nandini Rai v. State of NCT of Delhi

HIGH COURT OF DELHI • 2024-03-22 • CRL.M.C./2085/2024

यह मामला एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता पर Instagram पर फर्जी खाते बनाकर शिकायतकर्ता को परेशान करने, अपमानित करने और बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 419, 500, 34 और IT Act की धारा 66C, 66D के तहत अपराध दर्ज किए गए थे। याचिकाकर्ता ने सबूतों की कमी का तर्क दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि FIR रद्द करने का यह उचित चरण नहीं है, क्योंकि अभी आरोप तय (framing of charge) नहीं हुए हैं। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को छूट दी कि वह Trial Court के समक्ष आरोप तय करने के समय इन तर्कों को उठा सकती है।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंस्टाग्राम ऐप के माध्यम से लगातार पीछा करने, झूठी अफवाहें उड़ाने और फर्जी प्रोफाइल बनाकर उत्पीड़न करने के आरोपों की गंभीरता को स्वीकार किया। न्यायालय ने माना कि आरोपपत्र दायर होने के बाद ऐसे साक्ष्यों का मूल्यांकन ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने के दौरान किया जाना चाहिए।

“a complaint was lodged by the complainant wherein she had alleged that she had been subjected to harassment for last four weeks through Instagram App. It was alleged that the accused had made fifth account on Instagram for the sole purpose of bullying and harassing the complainant. It was further alleged that the accused persons had been publishing photographs, abusive content and rumours about the complainant on Instagram”

HIGH COURT OF DELHI • 2024

स्रोत DLHC010129602024

13 Lalabhai Ranchodbhai Rabari v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2022-12-01 • CR.MA/17734/2022

यह मामला आरोपी द्वारा दायर एक anticipatory bail आवेदन से संबंधित है, जो Odhav Police Station, Ahmedabad में दर्ज एक FIR के संबंध में Section 438 of the Code of Criminal Procedure के तहत राहत की मांग कर रहा था। आरोपी पर Indian Penal Code की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप था। न्यायालय ने पाया कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया कि आरोपी ने न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन नहीं किया था। इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आरोपी anticipatory bail के लिए पात्र नहीं है और तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय न्यायालय ने सुशीला अग्रवाल मामले के सिद्धांतों के आधार पर कहा कि अग्रिम जमानत के लिए गिरफ्तारी की आशंका ठोस तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए न कि केवल अस्पष्ट या सामान्य आरोपों पर।

“As held in Sibbia, when a person apprehends arrest and approaches a court for anticipatory bail, his apprehension (of arrest), has to be based on concrete facts (and not vague or general allegations) relating to a specific offence or particular of offences.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2022

स्रोत GJHC240624022022

14 Sohail Malik v. State NCT of Delhi

HIGH COURT OF DELHI • 2025-08-12 • CRL.M.C./6745/2024

यह मामला आरोपी Sohail Malik द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने Metropolitan Magistrate के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें साक्ष्य (evidence) के संरक्षण के लिए Section 91 Cr.P.C. के तहत दायर उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। आरोपी पर Stalking और यौन उत्पीड़न के आरोप थे और उनका तर्क था कि उनके और शिकायतकर्ता के बीच पूर्व में एक घनिष्ठ संबंध था, जिसे सिद्ध करने के लिए Call Detail Records (CDRs) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सुरक्षित रखना आवश्यक है। निचली अदालत ने इसे गोपनीयता (privacy) का उल्लंघन और अनावश्यक मानते हुए खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने मामले पर सुनवाई की और पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार को बनाए रखते हुए जांच अधिकारी को यह निर्देश दिया कि वह विवादित कॉल डेटा रिकॉर्ड्स (CDRs) और संबंधित चैट इतिहास को सुरक्षित एवं संरक्षित रखे ताकि मुकदमे के समय उसका निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके।

“Keeping in view the limited prayer in the application as well as the fact that charge sheet has already been filed and the order is not to be construed as a direction for further investigation, it is clarified that the I.O. has to ensure only preservation of data/CDRs.”

HIGH COURT OF DELHI • 2025

स्रोत DLHC010551612024

15 Smt. Gouri Debnath (Podder) v. The State of Tripura

HIGH COURT OF TRIPURA • 2025-03-10 • AB/17/2025

यह मामला अग्रिम जमानत (anticipatory bail) के लिए दायर की गई एक याचिका से संबंधित है, जिसमें आवेदकों पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण और POCSO Act के तहत अपराधों में सहायता करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि चूंकि आवेदकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने पीड़िता के बयानों का अवलोकन किया, जिससे पता चला कि वह और मुख्य आरोपी प्रेम संबंध में थे और उन्होंने अपनी मर्जी से साथ समय बिताया था। न्यायालय ने पाया कि पीड़िता ने अपहरण के दौरान विरोध नहीं किया था। अतः, प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए, न्यायालय ने आवेदकों को अग्रिम जमानत प्रदान की।

निर्णय न्यायालय ने दोहराया कि धारा 482 बीएनएसएस या धारा 438 सीआरपीसी के तहत पूर्व-गिरफ्तारी जमानत की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब कोई ठोस आधार हो कि याचिकाकर्ता दुर्भावनापूर्ण मंशा से फंसाया जा रहा है या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनुचित खतरा है।

“the Court will not hesitate to exercise its discretion to grant the pre-arrest bail in extreme, or exceptional cases in the interest of justice.”

HIGH COURT OF TRIPURA • 2025

स्रोत TRHC010003032025

अ स्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।